न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 01 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 50

प्रार्थीगण

1 भावाराम पुत्र प्रेमाराम

2 माधाराम पुत्र प्रेमाराम

3 हरचंदराम पुत्र प्रेमाराम

जातियान–रेबारी, निवासीगण–

सरनाउ, तहसील–सांचौर

जिला–जालोर (राज.)

अप्रार्थीगण

1 जेरूपाराम पुत्र समेलाराम

2 केसाराम पुत्र भभुताराम

3 गणेशाराम पुत्र भभुताराम

4 जेठाराम पुत्र जगाराम

5 अमरा पुत्र समेला

6 भलाराम पुत्र जगा

7 मायंगा पुत्र भभुताराम

8 राणा पुत्र जगा

9 सुजानाराम पुत्र भभुताराम

10 सुरताराम पुत्र समेलाराम

11 खंगारा पुत्र वेला

12 जगरूपा पुत्र मेगा

13 मोबताराम पुत्र भगवाना

14 वजा पुत्र भगवाना

15 वरधा पुत्र वेला

16 व्यवस्थापक भारतीय स्टेट बैंक, बीकानेर एण्ड जयपुर, हाल नवसृजित बैंक भारतीय स्टैट बैंक शाखा सांचौर

17 व्यवस्थापक भारतीय स्टेट बैंक, बीकानेर एण्ड जयपुर हाल नवसृजित बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पांचला

18 व्यवस्थापक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांचौर

19 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर –जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजू :– 01.05.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

2. अप्रार्थी संख्या 1, 5, 6, 7 व 10 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।

3. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4, 8, 9, 11 लगायत 19 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:- निर्णय :- दिनांक :- 07.02.2025

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम सरनाउ पटवार हल्का सरनाउ तहसील सांचौर में खेत खसरा नंबर 575 रकबा 2.72 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसमें खसरा नंबर 576 में प्रार्थीगण की रहवासी ढ़ाणी स्थित है। प्रार्थीगण को उक्त खेत में आने जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम सरनाउ पटवार हल्का सरनाउ के खसरा नंबर 561 रकबा 1.94 हैक्टेयर में से 0.0846 हैक्टेयर व प्रार्थीगण अप्रार्थीगण का संयुक्त खसरा नंबर 562 रकबा 2.68 हैक्टैयर में से 0.01 हैक्टेयर व खसरा नंबर 568 रकबा 4.57 हैक्टैयर में से 0.0367 हैक्टेयर व खसरा नंबर 577 रकबा 1.74 हैक्टेयर में से 0.0447 हैक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 0.176 हैक्टैयर यानि 1263 फीट लंबाई एवं 15 फीट के चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने में आने जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक का रास्ता नहीं है। उक्त आवेदित रास्ता सरनाउ से कुड़ा जाने वाली पक्की सड़क में से प्रभु हबता गांगल की ढ़ाणी जाने वाली ग्रेवल सड़क को जोड़ता है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता है। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश है। अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करनें का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें तथा उक्त रास्ते की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का आवागमन में बाधा [illegible] करें न करावें तथा न आवेदित स्थान रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कच्चा पक्का [illegible] न करावें। इस आशय का आदेश जारी फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र दिनांक 01.05.2024 [illegible] दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 5, 6, 7 व 10 उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 575 रकबा 2.72 हैक्टैयर का आया हुआ है जिसके पास में खसरा संख्या 576 में प्रार्थी की रहवासी ढ़ाणी स्थित है। प्रार्थी के आवागमन हेतु नजदीकतम व सुविधा के संतुलन को देखते हुए खसरा नंबर 574 में से रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2025.03.18 15:56:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

लेना सुविधा जनक व कम दूरी का उपलब्ध हो रहा है केवल खसरा नंबर 574 एक ही खसरे में से ही रास्ते की मांग करना वाजिब माना जाता, यदि प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 574 में से रास्ता मांगा जाता। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में रास्ते को दर्शाया है जो खेत खसरा नंबर 577, 566 को दो भागों में बांट कर खेतों का विभाजन करता है तथा दोनों खसरों के अलग अलग टुकड़े कारित करता है तथा खसरा नंबर 561 में से भी रास्ते की मांग की है जो अत्यधिक लंबा व खर्चिला रहेगा जो निकटतम दूरी व सुविधा के संतुलन के अनुसार उचित नहीं है जबकि पटवारी द्वारा पेश नजरी नक्शा में मार्क डब्यू, एक्स, वाई जो दर्शाया है वह केवल खसरा नंबर 574 के में से निकटतम व खसरा नंबर 574 के समानांतर खसरा नंबर 585 व 584 में से भी रास्ता सुविधा युक्त है जो प्रार्थी के आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। प्रार्थी ने पटवारी द्वारा पेश नजरी नक्शा ए, बी, सी के स्थान पर प्रार्थी ने ग्रेवल सड़क होना बताया है जो किसी राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा नहीं है तथा न ही किसी राजकीय बजट से ग्रेवल डाला गया है। ग्रेवल केवल खातेदार ने अपने स्वयं के रूपयों से अपने आवागमन हेतु ग्रेवल डाली है। खसरा संख्या 562, 568 577 में प्रार्थी भावा मेघा, हरचन्द का 1/24 हिस्सा जमाबंदी में दर्जसुदा आया हुआ है जिसका मौके पर अलग बंटवाड़ा कर माठे कायम की हुई है। इन खसरों में प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं हैं अतः सलंग्न नक्शा मय जवाब पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र गलत एवं मनगंढत तथ्य बनाकर पक्की सड़क से प्रार्थीगण का खसरा नंबर 575 के लिए कम दूरी का रास्ता खसरा नंबर 574 या खसरा नंबर 574 के सामानांतर खसरा नंबर 585 व 584 में से निकटतम दूरी (500 फीट यानि 0.06 हैक्टैयर भूमि) का रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रार्थीगण ने हमारे खसरों के दो टूकड़े कारित करते हुए लम्बी दूरी (1263 फीट यानि 0.176 हैक्टेयर भूमि) का रास्ता के लिए हमें तंग व परेशान करने के लिए मांग की है जो प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों के दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम सरनाउ पटवार हल्का सरनाउ तहसील सांचौर में खेत खसरा नंबर 575 रकबा 2.72 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसमें खसरा नंबर 576 में प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी स्थित है। प्रार्थीगण को उक्त खेत में आने जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम सरनाउ पटवार हल्का सरनाउ के खसरा नंबर 561 रकबा 1.94 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का संयुक्त खसरा नंबर 562 रकबा 2.68 हैक्टैयर में से 0.01 हैक्टेय व खसरा नंबर 568 रकबा 4.57 हैक्टैयर में से 0.0367 हैक्टेयर व खसरा नंबर 577 रकबा 1.74 हैक्टेयर में से 0.0447 हैक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 0.176 हैक्टेयर यानि 1263 फीट लंबाई एवं 15 फीट के चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। अतः निवेदन है

Signature Not Verifie
Digitally signed by Pramod
Date: 2025.03.18 15:56:28
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना–पत्र के कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना–पत्र गलत एवं मनगंढत तथ्य बनाकर पक्की सड़क से प्रार्थीगण का खसरा नंबर 575 के लिए कम दूरी का रास्ता खसरा नंबर 574 या खसरा नंबर 574 के समानांतर खसरा नंबर 585 व 584 में से निकटतम दूरी (500 फीट यानि 0.06 हैक्टैयर भूमि) का रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रार्थीगण ने हमारे खसरों के दो टूकड़े कारित करते हुए लम्बी दूरी (1263 फीट यानि 0.176 हैक्टेयर भूमि) का रास्ता के लिए हमें तंग व परेशान करने के लिए मांग की है जो प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः खारिज फरमावें।

प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात् एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान है :–

251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

अगर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के लिये पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:28 IST
Reason: SelfAttested

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा अंकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जाएगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से मार्ग स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण के रेकर्डेड मार्ग तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु भू अभिलेख निरीक्षक सरनाउ की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 16.09.2024 से स्पष्ट है कि मौका जांच रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए,बी, सी टी.वी गुलाबी रंग से दर्शाया गया है तथा वर्तमान में कोई निर्माण वगैरह नहीं है। वर्तमान में प्रार्थीगण के आवागमन कही से नहीं हो रहा है। कैवल पैदल चलकर आना जाना कर रहे है। इसी ग्राम सरनाउ के सरकारी रास्ता के खसरा संख्या 515 जो ग्राम सरनाउ से कुड़ा तक जाता है, से लगता हुआ खसरा संख्या 585 व 584 है। जहां पर रास्ता के रूप में कोई आलामात मौके पर नहीं है। मार्क डब्ल्यू.एक्स.वाई पर कोई निर्माण वगैरह नहीं है। जो नक्शा नजरी में केसरिया रंग से दर्शाया गया है। खसरा संख्या 585 में 32 मीटर लम्बा *4.50 मीटर चौड़ा = 0.0144 व खसरा संख्या 584 में 168 मीटर लम्बा * 4.50 चौड़ा = 0.0756 = जुमले लंबाई 200 मीटर व 0.0900 हैक्टेयर कृषि भूमि का क्षैत्रफल बनता है। मार्क जेड पर अप्रार्थी भलाराम की ढ़ाणी पर मार्क ए, बी, सी से टी द्वारा रास्ते से आता है। भू–अभिलेख निरीक्षक सरनाउ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा मांगा गया मार्ग जो खसरा संख्या 561, 562, 568, 577 से मांग की गई है, उस प्रस्तावित मार्ग की कुल लम्बाई 340 मीटर है, जबकि भू-अभिलेख निरीक्षक सरनाउ द्वारा दर्शित खसरा संख्या 584 व 585 से प्रार्थी के खसरा संख्या 575 की दूरी 200 मीटर ही है। साथ ही प्रार्थी भावाराम पुत्र प्रेमाराम, माधाराम पुत्र प्रेमाराम एवं हस्तूराम पुत्र प्रेमाराम खसरा संख्या 562, 568, 577 के सहखातेदार है, अतः प्रार्थी बंटवाड़े में भी मार्ग प्राप्त कर सकते है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि केवल सुविधा हेतु मार्ग स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, यदि किसी खातेदार को आत्यांतिक आवश्यकता हो तो निकटतम स्थान से लघुतम दूरी का मार्ग स्वीकृत किया जावेगा। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:28 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा चाहे गये मार्ग की दूरी 340 मीटर है, परन्तु केवल मात्र 200 मीटर की दूरी पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तथा जिन खसरों से मार्ग चाहा गया है, उन खसरों में प्रार्थी सहखातेदार दर्ज है, अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग लघुतम या निकटमत दूरी से नहीं होने से प्रार्थना–पत्र पूर्णरूपेण साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निकटमत स्थान या लघुतम मार्ग प्रस्तावित नहीं करने एवं बखूबी साबित नहीं होने तथा सारवान नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **07.02.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verifie
Digitally signed by Pra mo
Date: 2025.03.18 15:56:2
Reason: SelfAttested